

क्रमांक:- आर.एन.सी / 2022 / रजि. / 9411

दिनांक: 04/11/2022

परिपत्र

कौंसिल की जी.बी. की बैठक दिनांक 17.10.2022 के एजेन्डा संख्या 04 के अनुसार अन्य राज्य द्वारा अतिरिक्त योग्यता प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों के संबंध में निर्णय लिया गया है, कि आर.एन.सी में पंजीकृत नर्सिंग अभ्यर्थी द्वारा अतिरिक्त योग्यता के पंजीयन हेतु आवेदन करने पर अन्य राज्य से अतिरिक्त योग्यता अर्जित किये जाने की स्थिति में संबंधित नर्सिंग संस्थान/ विश्वविद्यालय से उक्त अर्जित योग्यता का सत्यापन करने के उपरान्त एवं जिस नर्सिंग संस्थान से अतिरिक्त योग्यता ली गयी वह संस्थान उस राज्य की नर्सिंग कौंसिल द्वारा संबद्ध (Affiliated) है या नहीं; की पुष्टि कौंसिल से किये जाने के उपरान्त संबंधित व्यक्ति को आरएनसी द्वारा अतिरिक्त योग्यता का पंजीयन किया जाएगा।

साथ ही उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति द्वारा अन्य राज्य से अतिरिक्त योग्यता अर्जित किये जाने एवं उसी राज्य में अतिरिक्त योग्यता का पंजीयन होने की स्थिति में आरएनसी में अतिरिक्त योग्यता के पंजीयन हेतु आवेदन करने पर संबंधित राज्य की कौंसिल द्वारा एन.ओ.सी. लाने के उपरान्त आरएनसी द्वारा अतिरिक्त योग्यता का पंजीयन किया जावेगा।


(डॉ. शशिकान्त शर्मा)
रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांक:- आर.एन.सी / 2022 / रजि. / 9411

दिनांक: 04/11/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली।
2. श्रीमान निदेशक(जन स्वास्थ्य) एवं पदेन अध्यक्ष(आर.एन.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
3. पंजीयन अनुभाग, आर.एन.सी, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।


रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर